IN THE COURT OF MUNSIF CUM JM 1st CLASS KPNTT

T.S - 4/17

आदेश

-9-19 उभयपक्ष की वकालतन हाजिरी है। वाद अभिलेख आज प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 19-2-19 अन्तर्गत आदेश-06, नियम 17 CPC संशोधन हेतु तथा वादी के प्रत्युत्तर दिनांक 7-3-19 पर आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार का आवेदन दिनांक 19-2-19 प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि वादी द्वारा लिखित कथन दाखिल करने के पश्चात अपने वाद पत्र में संशोधन किया गया है, जिसके आलोक में लिखित कथन में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया गया कि संशोधन के माध्यम से उसे काउण्टर क्लेम दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि वादी के वाद पत्र में संशोधन से प्रतिवादी को काउण्टर क्लेम दाखिल करने हेतु वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। प्रस्तावित संशोधन एवं काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी द्वारा 106 BT अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को शून्य घोषित करने का अनुतोष भी माँगा गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संशोधन के माध्यम से काउण्टर क्लेम दाखिल करने की अनुमति माँगी है और आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

क्रमशः

Scanned by CamScanner

IN THE Court of munsif cum JM ...

T.S- 4/17

Court

(2)

लगातार
23-7-19

5.7.19

7.19

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार झा, प्रतिवादी के संशोधन आवेदन का जोरदार विरोध करते हुए कहते हैं कि प्रतिवादी का आवेदन पोषणीय नहीं है, बदनीयती से दाखिल किया गया है। संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी काउण्टर क्लेम दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने धारा-106 BT अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को चुनौती दिया है, परन्तु वर्तमान वाद में बिहार सरकार पक्षकार नहीं है, उनके अनुपस्थिति में उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। वादी द्वारा जो संशोधन वाद पत्र में किया गया वह मात्र वाद को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। कोई नया तथ्य वाद पत्र में नहीं जोड़ा गया था। प्रतिवादी को वाद संख्या 2381/2/1989 में पारित दफा-106 BT अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश की पूर्ण जानकारी शुरू से थी। वाद पत्र की कण्डिका-10 में उसका उल्लेख है। लिखित कथन की कण्डिका-18 में उसका जवाब भी है। प्रतिवादी का संशोधन आवेदन बिना किसी मैरिट का है। अत: आवेदन दिनांक 17-2-19 को खर्चे के साथ खारिज किया जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य

आदेश
[illegible]-9-17

परिलक्षित होता है कि दिनांक 16-1-19 को वादी का संशोधन आवेदन दिनांक 20-11-18 न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा निम्न संशोधन :—

"7 क- यह कि पुराना खेसरा नं० 750 एवं 1376 के अंश से जिसका नया खेसरा नं० 631 बना है जिसका कुल रकबा 1 डी रहता आया एवं खेसरा नं०- 1376 जिसकी मुद्दई के पिता एवं अन्य के नाम से केवाला दिनांक 23-7-1975 ई० के द्वारा हासिल रहता आया एवं उक्त नया खेसरा नम्बर नया सर्वे खतियान में अकबर मियाँ के नाम से दर्ज हुआ जिसका सुधार जिसकी मुद्दई ने दफा- 106 BT अधिनियम के अन्तर्गत किया एवं इस प्रकार खेसरा नं० - 631 जो पुराना खेसरा नं०-750 एवं 1376 से बना है उसके 1 डी पर जिसकी मुद्दई का दखियत रहता आया एवं उक्त रकबी से मुद्दालह मुकदमा हाजा को कोई सरोकार नहीं रहता आया।"

प्रस्तावित किया गया था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उसी संशोधन के प्रक्रिया में लाया गया है एवं दावा किया गया है कि वादी द्वारा धारा 106 BT Act के अन्तर्गत आदेश छल द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः उसे शून्य घोषित किया जाए।

Scanned by CamScanner

लगातार 21-3-19 और संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम की प्रार्थना की गई है। -19

आदेश-8, नियम-6 (क) में प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाईल किए जाने के पूर्व या पश्चात् किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिपत्र किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिपत्र किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतुक के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो — प्रतिवादी अपना प्रतिदावा दाखिल कर सकेगा।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अपना प्रतिदावा परिसीमा काल के अन्तर्गत दाखिल कर सकेगा अथवा प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा दाखिल करने के पूर्व या दाखिल करते समय अथवा उसकी परिसीमा के अन्तर्गत अपना प्रतिदावा दाखिल कर सकेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई वादों में यह कहा गया है कि साक्ष्य प्रस्तुत हो जाने अथवा वाद में साक्ष्य आरंभ होने के पश्चात् प्रतिवादी अपना प्रतिदावा नहीं दाखिल कर सकेगा।

प्रतिवादी का प्रतिदावा उसके लिए वाद पत्र के समान है तथा वह अपने प्रतिदावे

IN THE Court of munsif Civil
T.S-41/17

Suit दाखिल

(5)

लगातार
23-9-19

के माध्यम से एक Case वादी को लिखित बयान करता है। इसके उत्तर में वादी को आवश्यक दाखिल करना होता है। अतः यह आवश्यक है कि जब प्रतिवादी कोई प्रतिदावा करता है तो उसके प्रतिदावे में वाद हेतुक विद्यमान है अथवा नहीं यह निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बिना वाद हेतुक के कोई वाद नहीं चल सकता है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वारा संशोधन के माध्यम से जो प्रतिदावा करने का अनुरोध किया है उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जब वादी द्वारा वाद पत्र में संशोधन किया तब प्रतिवादी को वाद हेतुक प्राप्त हो गया। वादी द्वारा वाद पत्र के संशोधन में धारा 106 BT Act के अन्तर्गत पारित आदेश का जिक्र किया गया, जिसे अपने प्रतिदावा के माध्यम से प्रतिवादी शून्य घोषित कराना चाहते हैं। उक्त आदेश वाद संख्या 238/2/1989 के मामले में पारित किया गया था जिसकी प्रति अभिलेख पर वादी द्वारा पूर्व से ही दाखिल की गयी है। प्रतिवादी उक्त आदेश जो काफी समय पूर्व पारित किया जा चुका है, उसको शून्य घोषित करने के लिए वादी के वादपत्र में संशोधन को आधार बनाकर शून्य घोषित करने के लिए प्रतिदावा करना चाहते हैं, जो कि युक्तियुक्त

IN THE Court of Munsif Court 1st Class Rajpur(?) Contd.

T.S.- 4/17

(6)

लगातार 23-2-17

प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी को प्रतिदावा के लिए कोई वाद हेतुक स्वतंत्र रूप से मिलता नहीं प्रतीत होता है। जिस तथ्य के विरुद्ध प्रतिवादी प्रतिदावा करना चाहते हैं उस तथ्य से वह पूर्व से ही अवगत है तथा उस आदेश के विरुद्ध वाद दायर करने की समयसीमा भी व्यतीत हो चुकी है। वाद वादी के साक्ष्य हेतु लम्बित है, इस प्रक्रम पर प्रतिवादी को प्रतिदावा बिना वाद हेतुक के करने की अनुमति प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी के प्रतिदावे को स्वीकार न करने से प्रतिवादी को हानि नहीं होगी, क्योंकि यदि प्रतिवादी के पास वाद हेतुक है तो वह नवीन वाद उस मामले के लिए संस्थित कर सकते हैं। परन्तु प्रस्तुत वाद में संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिदावे में प्रतिवादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त होता नहीं प्रतीत होता है, परिसीमा काल का भी अवसान हो चुका है, वाद में साक्ष्य आरंभ हो चुका है। अतः ऐसी परिस्थिति में संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी के प्रतिदावे को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए न्यायहित में प्रतिवादी के संशोधन आवेदन दिनांक 19-2-19 को खारिज किया जाता है।

दि० 4-11-19 वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से।

[signature]
व्यवहार न्यायाधीश (?)

Scanned by CamScanner